क्रम-संख्या--160

रजिस्ट्रेशन नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 1998

श्रावण 5, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1396/सत्रह-वि-1—1 (क) 29-1997

लखनऊ, 27 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 15 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1998

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1-बी में नया अनुच्छेद 38-क का बढ़ाया जाना

2--भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी में अनुच्छेद 38 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"38--(क) आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति, अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 54 सन् 1959) के उपबन्धों के अधीन आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज--

(क) निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति :--

(i) रिवाल्वर या पिस्टल	दो हजार रुपये
(ii) राईफल	एक हजार पांच सौ रुपये
(iii) डी0 बी0 बी0 एल0 (आयुध)	एक हजार रुपये
(iv) एस0 बी0 बी0 एल0 (आयुध)	एक हजार रुपये
(v) एम0 एल0 (आयुध)	दो सौ रुपये

(ख) आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति :--

(i) प्रारूप XI	दस हजार रुपये
(ii) प्रारूप XII	दस हजार रुपये
(iii) प्रारूप XIII	पांच हजार रुपये
(iv) प्रारूप XIV	तीन हजार रुपये

(ग) निम्नलिखित आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण :--

(i) रिवाल्वर या पिस्टल	एक हजार रुपये
(ii) राईफल	सात सौ पचास रुपये
(iii) डी0 बी0 बी0 एल0 (आयुध)	पांच सौ रुपये
(iv) एस0 बी0 बी0 एल0 (आयुध)	पांच सौ रुपये
(v) एम0 एल0 (आयुध)	एक सौ रुपये

(घ) आयुध नियम, 1962, की तृतीय अनुसूची में दिये गए निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण :--

(i) प्रारूप XI	तीन हजार रुपये
(ii) प्रारूप XII	तीन हजार रुपये
(iii) प्रारूप XIII	दो हजार रुपये
(iv) प्रारूप XIV	एक हजार रुपये"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1396 (2)/XVII-V-1--1(KA)-29-1997

Dated Lucknow, July 27, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 15, 1998.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH SECOND AMENDMENT) ACT, 1997

(U.P. ACT NO. 23 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 *in its application to Uttar Pradesh.*

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extend and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Second Amendment) Act, 1997.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Insertion of new Article 38-A.

Act no. 54 of 1959

2. In Schedule 1-B to the Indian Stamp Act, 1899, *after* Article 38, the following Article shall be *inserted*, namely :—

"38-A. Licence relating to arms or ammunitions, that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959,—

(A) Licence relating to following arms :—

(i) Revolvers or Pistols	Two thousand rupees
(ii) Rifles	One thousand five hundred rupees
(iii) DBBL Weapons	One thousand rupees
(iv) SBBL Weapons	One thousand rupees
(v) ML Weapons	Two hundred rupees

(B) Licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962 :—

(i) FORM XI	Ten thousand rupees
(ii) FORM XII	Ten thousand rupees
(iii) FORM XIII	Five thousand rupees
(iv) FORM XIV	Three thousand rupees

(C) Renewal of licence relating to following arms :—

(i) Revolvers or Pistols	One thousand rupees
(ii) Rifles	Seven hundred fifty rupees
(iii) DBBL Weapons	Five hundred rupees
(iv) SBBL Weapons	Five hundred rupees
(v) ML Weapons	One hundred rupees

(D) Renewal of licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962 :—

(i) FORM XI	Three thousand rupees
(ii) FORM XII	Three thousand rupees
(iii) FORM XIII	Two thousand rupees
(iv) FORM XIV	One thousand rupees".

By order,

YOGENDRA RAM TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 397 राजपत्र—(हि०)—(837)—1998—597 (मे के ०)।